न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-109/2011

1- कुरडासिंह
2- बलबीरसिंह
3- प्रतापसिंह
4- राहताशसिंह

पुत्रगण स्व0 पालाराम जाति दरोगा तथाकथित जाति रावणा राजपूत निवासी लिखवा उप तहसील सूरजगढ तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- सुशीला पुत्री स्व0 सरदारसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी भरगडों की ढाणी तन केहरपुर तहसील व जिला झुन्झुनू ।

2- नरोतमसिंह
3- सुनिलकुमार

पुत्रगण स्व0 सरदारसिंह जाति गुर्जर निवासी लिखवा उप तहसील सूरजगढ तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

4- उदयचन्द पुत्र लोकराम
5- जोगेन्द्र पुत्र उदयचन्द

जाति जाट निवासी हंसास की ढाणी तन लिखवा उप तहसील सूरजगढ तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू व निवासी हंसावास खुर्द पोस्ट बाढ़डा चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

6- सरोज पुत्री उदयचन्द पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी सियोसिंहपुरा उर्फ पंगधालों का बास तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

7- निलम उर्फ सोनू पुत्री उदयचन्द पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी सियोसिहपुरा उर्फ पंगधालों का बास तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

8- सुरेशदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट निवासी हंसावास खुर्द पोस्ट बाढ़डा तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हाल निवासी हंसास की ढाणी तन लिखवा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू ।

9- बलवानसिंह पुत्र लोकराम (मृतक)
9/1- जितेन्द्र
9/2- नरेन्द्र

पुत्रगण स्व0 बलवानसिंह जाति जाट निवासी हंसावास खुर्द बाढ़डा तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा) हाल लिखवा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10- मैदा पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी जयपाल जाति दरोगा तथाकथित जाति रावणा राजपूत निवासी डांग तहसील सीसाम जिला भिवानी (हरियाणा)

11- सुमित्रा पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत तथाकथित जाति रावणा राजपूत निवासी नक्टा तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा)

12- शारदा पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी महीपालसिंह जाति दरोगा तथा कथित जाति राजपूत रावणा राजपूत निवासी डांग तहसील सीसाम जिला भिवानी (हरियाणा)

13- स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू ।

14- राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिडावा जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्ट्स---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 20-7-2011 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री रोताशकुमार एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री जगदीशचन्द्र एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 ने अदालत मातहत में दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 263 रकबा 1.40 हैक्टर वाके ग्राम लिखवा के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। सम्वत 2009 में उक्त नूरा व पालाराम से वादीगण के दादा नत्थूराम ने मय ख0नं0 368 में से दक्षिणी पूर्वी तरफ की जमीन करीब 5 बीघा 10 बिस्वा पखता हाल ख0नं0 263 रकबा 1.40 हैक्टर को बतौर उपकब्ज 6/-

रूपये वार्षिक लगान की ऐवज में काश्त हेतु ली थी जिसका लगान माह बैशाख सम्वत 2009 से लगातार सम्वत 2018 तक बतौर उपकृषक जमा कराया है ।तथा खसरा गिरदावरी सं0- 2009 से 2012, 2013 से 2019 में यह आराजी वादीगण के दादा नत्थूराम के नाम बतौर उपकृषक दर्ज है। सम्वत 2012 से 2022 तक वादीगण के दादा नत्थूराम के नाम दर्ज रही है इस प्रकार यह आराजी वादीगण के दादा नत्थू के बतौर उपकृषक राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस समय से कब्जा काश्त में रही है इस आराजी पर प्रतिवादी सं0-1 से 13 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा किन्तु 1/2 हिस्सा फलसिंह व 1/2 हिस्सा पालाराम के सम्वत 2044 से 2063 में गलत दर्ज कर दी है । जबकि इनका कोई कब्जा नहीं है । अतः दावा स्वीकार कर ख0नं0 263 रकबा 1.40 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।ग्राम लिखवा की सरहद में गत ख0नं0 368 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा थी । ठिकाना के समय में इस जमीन का पानेदार माधुसिंह था। यह जमीन अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-10 से 12 के पिता पालाराम पुत्र मनरूपसिंह जाति दरोगा तथाकथित जाति रावणा राजपूत व नुरा उर्फ नूरिया पुत्र कालू उर्फ कालूराम जाति तैली की खातेदारी की थी।जिसमें आज भी 1/2 हिस्सा अपीलान्ट व 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या- 10 से 12 है ।खतौनी सम्वत 2008 से 2027 में टीनन्ती नुरा व पालाराम के नाम दर्ज है ।जिनका कब्जा है ।ख0नं0 368 में से दक्षिण पूर्व की जमीन करीब 5 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 263 रकबा 1.40 हैक्टर को पालाराम काश्त करता था । इन्होने कभी भी इस आराजी को काश्त के लिये किसी को भी नहीं दी है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के दादा व

रेस्पोडेन्ट संख्या-10 से 12 का है । अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से नही हुई । दिनांक 8-4-2011 को दावा के नोटिस जारी (रजिस्टर्ड एडी0) करना बताया है जो अदम तामिल आने के बाद भी योग्य अदालत मातहत ने तामिल मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट संख्या-10 से 12 अपने ससुराल में रहती है किन्तु इनकी तामिल ग्राम लिखवा में ही घरपांदगी से मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी तब हुई जब वह दिनांक 5-9-2011 को अपीलान्ट के वकील से मिली जिसके बाद दिनांक 6-9-11 को अपीलान्ट वकील से मिल कर नकल ली तथा नकल लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गत खसरा नं0 368 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा के पानेदार माधुसिंह था । यह आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-10 से 12 के पिता पालाराम पुत्र मनरूपसिंह एवं नुरा उर्फ नुरिया पुत्र कालू उर्फ कालूराम की खातेदारी में दर्ज थी। इस आराजी के 1/2 हिस्से पर आज भी पालाराम के पुत्रों अपीलान्ट्स एवं पुत्रियों रेस्पो0 सं0-10 से 12 का कब्जा है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब विवादित आराजी पर पालाराम एवं नूरा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त था।रेस्पोडेन्ट का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं राजस्व अधिकारियो ने गलती से रेस्पोडेन्ट/वादी के दादा का नाम गलती से दर्ज किया गया है ।अदालत मातहत में वादीगण ने हमारी तामिल भी

करवा दी जबकि चस्पादंगी से तामिल न्यायालय के आदेश से करवाई जाती है । रेस्पोडेन्ट संख्या-10 से 12 हरियाणा में निवास करती है किन्तु उनकी तामिल भी लिखवा के पते पर ही करवाई गई। इस प्रकार अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण की तामिल सही नहीं करवाई जिससे अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से करवाई गई है । अपीलान्ट के मकान पर नोटिस दो गवाहों के समक्षचस्पा किया गया है।इनकी तामिल हुई है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-10 से 12 को उनके हरियाणा के पते पर रजिस्टर्ड पत्र भेजा है जिससे उनकी तामिल हुई है किन्तु उन्होने कोई अपील नहीं की है । अपीलान्ट उनकी चिन्ता न कर अपनी ही बात कहें। इनकी तामिल प्रोपर हुई है सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार हुई है ।इस कारण अपीलान्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं है। दूसरा मेरा कथन यह है कि उक्त आराजी को हमने माह बैशाख सम्वत 2009 में नूरा व पालाराम से हमारे दादा नत्थूराम ने ख0नं0 263 रकबा 1.40 हैक्टर को बतौर उपकृषक 6/-रूपये वार्षिक लगान की ऐवज में काश्त के लिये ली थी । तब से लेकर आज दिनाक तक इस आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है ।खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012, 2013 से 2019 मे वादीगण के दादा नत्थू इस आराजी के बतौर उपकृषक दर्ज रहा है । खसरा गिरदावरी कब्जा काश्त का एक मजबूत दस्तावेज है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अपना निर्णय दिया है ।बहस के समर्थन में आरएलआर 2003(2) पेज 321 एवं आरआरडी 1999 पेज 553 पेश कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रदर्श-1 नकल नक्शा, प्रदर्श-2 नकल नक्शा का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-3में एक प्रार्थना पत्र फूलसिंह पुत्र श्योबक्ससिंह दरोगा ने सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी चिडावा को पेश कर गत ख0नं0 368 जिसके हाल खसरा नं0 190, 261, 263, 264 बने है। जिनके 1/2 हिस्से के नूरा पि0 काजू व 1/2 हिस्सा पाला पि0 मनरूप खातेदार दर्ज है । नूरा नाम का व्यक्ति इस ग्राम में नहीं है। इस कारण इस आराजी पर शुरू से ही मेरा कब्जा काश्त है ।इस 1/2 हिस्से जो नूरा का है उसके स्थान पर फूलसिंह पुत्र श्योबक्स का नाम दर्ज किया जावे। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी चिडावा ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया ।प्रदर्श-4 खतोनी बन्दोबस्त, प्रदर्श-5 जमाबन्दी सं0-2012, प्रदर्श में उक्त आराजी नूरा व पाला की खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श-6 में उक्त आराजी नूरा के स्थान पर फूलसिंह के 1/2 दर्ज हुई तथा 1/2 पाला के नाम रही । प्रदर्श-7 से 9 तक उक्त फूलसिंह वैगहर के नाम दर्ज रही ।प्रदर्श-10 में विवादित आराजी 263 अन्य आराजी के साथ फूलसिंह हि0 1/2, अणची बेवा पाला, कुरडसिंह प्रतापसिंह बलबीरसिंह रोहताशसिंह पि0 पाला हि0 1/2 के नाम दर्ज है। प्रदर्श-11 जमाबन्दी सं0- 2012 में ख0नं0 368 की खातेदारी नुरिया हि0 1/2 पाला 1/2 के नाम दर्ज जिस पर उपकृषक खुद काश्त पाला हि0 1/2, व नत्थू गूर्जर 1/2दर्ज है । प्रदर्श-12 से 36 का अवलोकन किया गया । बयानो का अवलोकन किया गया ।राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उससे पूर्व से ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 का दादा नत्थू विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का उप कृषक दर्ज है ।यह अंकन जमाबन्दी सं0-2012 से लगातार सम्वत 2022 तक है । जिसकी कब्जे की पुष्टि खसरा गिरदावरी सं0-2009 से 2012 व 2013 से 2019 से होती है । अपीलान्ट का राजस्व रेकार्ड के सम्बन्ध में तर्क रहा कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट के दादा का नाम गलती से

दर्ज हुआ है। इस आराजी को हमारे पर्वज पाला ने कभी भी लगान के बदले रेस्पोडेन्ट के दादा नत्थू को नहीं दी है । विवादित आराजी पर आज भी हमारा कब्जा है ।किन्तु प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों एवं जमाबन्दीयों के इन्द्राज से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि नहीं होती है ।रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी पर मुताबिक राजस्व रेकार्ड कब्जा लगातार प्रमाणित है ।अपीलान्ट का यह तर्क की हमारी तामिल प्रोपर नहीं हुई ।अपीलान्ट के नोटिस दो गवाहों के समक्ष नोटिस की प्रति चस्पा की है जिस पर दोनो गवाहों का वल्दियत सहित पूरा पता दर्ज है । रेस्पोडेन्ट संख्या-10 से 12 हरियाणा के पते पर नोटिस0000 रजिस्टर्ड जारी किये जो लेने से इन्कारी पर वापस आये हैं।इस कारण अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि रेस्पोडेन्ट सं0-10 से 12 की तामिल लिखवा के पते पर करवाई है । अपीलान्ट की तामिल चस्पांदगी से है जो प्रर्याप्त मानकर अदालत मातहत ने एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है।अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने के कारण अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार किया जाता है ।

अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-7-11 यथावत रखा जाता है ।इसे ही डिक्री माना जावे ।

निर्णय सेर इजलास आज दिनांक 25.7.2018 को सुनाया गया

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर